44

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस.एस. अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमाक 480-दो/08 विरूद्ध आदेश दिनांक 10-03-08 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 408/निग./2005-06

.....

1- रामकरण साहू पुत्र हीरालाल साहू
2- सीताशण पुत्र हीरालाल साहू
3- शिवशरण पुत्र हीरालाल साहू
4- सुदर्शन पुत्र हीरालाल साहू
निवासीगण- ग्राम खटखरी तहसील सिंगरौली
जिला-सीधी (म.प्र.)
5- रमगतिया पुत्री हीरालाल साहू पत्नी छोटेलाल साहू
निवासी-खुटार
6- शान्ती पुत्री हीरालाल साहू पत्नी हीरालाल साहू
7- कुसुम पुत्री हीरालाल साहू पत्नी रूपनारायण साहू
निवासी-शाकिन शासन
8- मीना पुत्री हीरालाल साहू पत्नी सीताशरण साहू
निवासी- साकिन बनौली
9- बिरजुआ पत्नी हीरालाल साहू
निवासी-खटखरी
10- रामकृपाल पुत्र मनोहर साहू
11- मीरा प्रसाद पुत्र मनोहर साहू
12- जुकमी पत्नी मोहर साहू
13- मनोहर पुत्र जोहे साहू
निवासीगण- ग्राम खटखरी तहसील सिंगरौली
जिला-सीधी (म.प्र.)

-----आवेदकगण

विरूद्ध

1- घुरहू पुत्र दशरथ साहू
2- गोपी चन्द्र पुत्र दशरथ साहू
3- शंकर पुत्र रामरतन साहू
4- ददई पुत्र रामरतन साहू
5- चन्द्रदेवी पत्नी भगवान देव पाण्डे
निवासीगण- ग्राम खटखरी तहसील सिंगरौली
जिला-सीधी (म.प्र.)

———अनावेदकगण

.....

श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

:: आदेश ::

{ आज दिनांक 5/4/18 को पारित }

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राज्स्व संहिता 1959 {जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा} की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-03-08 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षेप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा ग्राम खटखरी स्थित विवादित भूमि खसरा क्रमाक 1314 रकबा 0.21, 1415 रकबा 0.26, 1365, रकबा 0.21, 1311 रकबा 0.24 किता 4 रकबा 0.92 एकड़ का नामांतरण अपने नाम किये जाने के संबंध में राजस्व निरीक्षक मण्डल अमिलिया के समक्ष आवेदन दिया, जिस पर राजस्व निरीक्षक द्वारा साक्ष्य लिया जाकर दिनांक 02-11-80 से अनावेदकगण के पक्ष में नामांतरण प्रमाणित किया । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सिंगरौली के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जहॉ अनुविभागीय अधिकारी ने 11-11-2003 से अपील स्वीकार करते हुये प्रकरण पुन: सुनवाई करने हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया ।

अनुविभागीय अधिकारी सिंगरौली के आदेश दिनांक 11-11-2003 के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा निगरानी अपर कलेक्टर बैढ़न के समक्ष प्रस्तुत की गई, जहॉ अपर कलेक्टर बैढ़न ने दिनांक 15-05-2006 से निगरानी स्वीकार करते हुये निगरानीधीन आदेश पारित किया । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा निगरानी अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त रीवा ने अपने प्रकरण क्रमांक 408/निग./2005-06 में पारित आदेश दिनांक 10-03-2008 से यह निष्कर्ष निकाला है कि राजस्व निरीक्षक मण्डल अमिलिया ने विधिसम्मत आदेश पारित किया है तथा निगरानी बलहीन होने निरस्त की है। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। अत: प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेखों का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राजस्व निरीक्षक मण्डल अमिलिया द्वारा दिनांक 02-11-80 को आदेश पारित किया था और इसी आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जो लगभग 17 वर्ष के विलंब से प्रस्तुत की गई है। मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के बने प्रावधान के अनुसार 60 दिवस के भीतर अपील प्रस्तुत की जानी चाहिये थी। अनुविभागीय अधिकारी ने इस विधिक बिन्दु पर ध्यान दिये बिना ही 17 वर्ष के दीर्घकालिक विलम्ब से प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर राजस्व निरीक्षक मण्डल अमिलिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-05-2006 को निरस्त करने में त्रुटि की है। जबकि राजस्व निरीक्षक द्वारा उभयपक्ष की आपसी सहमति ही आदेश पारित किया था और आपसी सहमति पर पारित आदेश के विरूद्ध अपील या निगरानी प्रचलनयोग्य नहीं है। अपर कलेक्टर बैढ़न ने अपने आदेश में यही निष्कर्ष निकालते हुये न्यायासंगत आदेश पारित किया है, जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त रीवा ने अपने आदेश में पूर्ण विवेचना कर की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-03-08 विधिनुकूल होने से स्थिर रखे जाते है।

(एस.एस. अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर